जिला–सुपौल।
न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्

एन.डी.पी.एस. वाद संख्या–34/2023
वीरपुर थाना कांड संख्या–191/2023

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता..............................श्री रतन कुमार झा

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता.............................श्री धर्मेन्द्र कामत

::आदेश::

06/10/2023

काराधीन आवेदक अभियुक्त, **विवेक कुमार** की ओर से पूर्व से दाखिल नियमित जमानत आवेदन जो कि वीरपुर थाना कांड संख्या–191/2023, धारा–8(c), 21(a) N.D.P.S Act के अधीन है, को आज प्रचालित किया गया तथा न्यायालय द्वारा सुना गया।

प्रस्तुत वाद सूचक, मिहिर कान्ति नाथ, सहायक उप–निरीक्षक के फर्दबयान के आधार पर वीरपुर (ललित ग्राम ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या 191/2023 अन्तर्गत धारा 8(c),21(a) N.D.P.S. Act के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन यह है कि दिनांक 15.06.2023 को नेपाल से आ रहे एक वाहन निबंधन संख्या JH05DJ9570 को शक के आधार पर रोका गया, **जिससे अभियुक्त वाहन चालक बाहर निकल कर बताये कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इस वाहन में बैठे चारों व्यक्तियों की चेकिंग की जाय।** वाहन में बैठे सभी चार अभियुक्तों से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम सुमन कुमार, आशीष कुमार, **विवेक कुमार** एवं महावीर कामत बताये। स्थानीय दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष बारी बारी से विधिवत् जॉच करने पर सभी के पास से कुल दो ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के परिशीलन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत कोई भी आरोप अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध आरोपित नहीं होता है। प्रस्तुत वाद में ब्राउन शुगर सभी अभियुक्तों के पास से **कुल दो ग्राम** बरामद किया गया है, परंतु आवेदक अभियुक्त के पास से लगभग आधा ग्राम बाउन सुगर ही बरामद हुआ। आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत वाद में **दिनांक 16.06.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है।** अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि

लगातार

लगातार
06.10.2023

अभियुक्त आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक श्री धर्मेन्द्र कामत जमानत आवेदन का विरोध करते तथा आगें कहते हैं कि कुल चार अभियुक्तों के पास से **कुल दो ग्राम ब्राउन सुगर** की बरामदगी हुई है। इसलिए माना जाऐगा कि आवेदक अभियुक्त के पास से आधा ग्राम ब्राउन सुगर बरामद किया गया है, जो कि अल्प मात्रा में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा **आवेदक अभियुक्त के कब्जे से अल्प मात्रा में ब्राउन सुगर बरामद होने**, **न्यायिक अभिरक्षा (दिनांक 16.06.2023)** तथा आवेदक अभियुक्त का **उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष,** को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त **विवेक कुमार** को मो0 10,000 हजार रूपये के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि, आवेदक अभियुक्त का एक जमानतदार उसका **नजदीकी रिश्तेदार होंगे,** आवेदक अभियुक्त आरोप के गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे तथा बिना किसी अति विशेष कारण के लगातार दो तिथियों से ज्यादा तक अनुपस्थित होने पर बंध पत्र स्वतः खंडित हो जाएगा।

आवेदक अभियुक्त कुछ सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। आवेदक अभियुक्त महिषी, सहरसा के पास के रहने वाले है, इसलिए आवेदक अभियुक्त महिषी में स्थित माता के मंदिर में 15 दिनों तक लगातार सुबह एवं शाम साफ–सफाई करेगें, जिसका प्रमाण पत्र मंदिर प्रबंधन के अध्यक्ष या सचिव से प्रमाणित किया हुआ, प्राप्त कर अगली तिथि को न्यायालय में समर्पित करेंगे।

लेखापित
Avinnash kumar
अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्
व्यवहार न्यायालय, सुपौल।
दिनांक 06.10.2023